www.summerexpress.in

समर एक्सप्रेस

सूर्योदय सुबह 5:22 बजे
सूर्यास्त शाम 7:29 बजे

R.N.I NO. CHMUL/25/A1155

साल-1 • अंक-289 • पृष्ठ-8 • मूल्य-5 रूपये • बुधवार 24, जून 2026 • चंडीगढ़ • पंजाब • हरियाणा • हिमाचल • ग्रुप एडिटर : अर्शदीप सिंह समर • एग्जीक्यूटिव एडिटर : नितिन उपमन्यु

गायिका अलका, ममूटी और विजय अमृतराज को पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ से इंदरजीत सिंह सिद्धू सहित 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित

एजेंसी | नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में दूसरे चरण के पद्म पुरस्कार दे रही हैं। इस समारोह में देश की 65 हस्तियां सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस को जनसेवा और मलयालम पत्रकार पी नारायणन को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

इनके अलावा गायिका अलका याग्निक, एक्टर ममूटी, अमेरिका में कार्यरत प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दत्तात्रेयुडु नोरी और भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री अवॉर्ड दिए जाएंगे। इनमें से कुछ पुरस्कार संयुक्त रूप से भी दिए जा रहे हैं। 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इससे पहले 25 को पहले फेज में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत, एक्टर धर्मेंद्र समेत 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया था।

पद्मश्री प्राप्त करने वाली हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, मौजूदा गोलकीपर हैं। इन्हें भारतीय महिला हॉकी की 'द ग्रेट वॉल' के नाम से जाना जाता है। लगातार तीन बार एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वे कई पीढ़ियों की महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा हैं।

क्रिकेट में विशेष योगदान के लिए रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं जाने-माने एक्टर, फ़िल्ममेकर और स्क्रीनराइटर माधवन रंगनाथन को भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए

पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अवॉर्ड उनके भाई अरविंद ने लिया। चार दशकों के करियर में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सतीश शाह ने कई फिल्मों और यादगार टीवी शो में काम किया। इंडोलॉजी की मशहूर प्रोफेसर और भाषाविद् डॉ. ल्यूडमिला खोखलोवा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने रूसी, अंग्रेजी और हिंदी में 6 किताबें और 92 रिसर्च पेपर लिखे हैं।

उन्होंने ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान पर अहम रिसर्च की है, जिसमें सिख धर्म की उत्पत्ति और विकास पर किया गया अध्ययन भी शामिल है। सीमांचल पात्रा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानि किया गया। इन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और ओम बिरला के पैर छुए।

हरियाणा: एक और सीनियर आईएएस अफसर गिरफ्तार

आईडीएफसी-एयू बैंक स्कैम, 60.54 करोड़ का गबन

समर न्यूज | चंडीगढ़/पंचकूला

हरियाणा के बहुचर्चित 661 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सीनियर आईएएस अफसर पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है।

सीबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर इसका खुलासा किया। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी कहां से की है। वह आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में प्रधान सचिव हैं। सीबीआईए टीम उन्हें पंचकूला कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची है। सीबीआई ने बताया कि जिस समय घोटाला हुआ, उस समय पंकज अग्रवाल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग में प्रधान सचिव थे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के खाते चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नियमों के खिलाफ खोले गए थे। बाद में इन खातों में तय सीमा से ज्यादा सरकारी पैसा ट्रांसफर किया गया।

इन खातों के जरिए फर्जी लेनदेन कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जिससे सरकार को 60.54 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच के दौरान पंकज अग्रवाल के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। सीबीआई इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

न्यूज ब्रीफ

5 जुलाई से अनशन करेंगे अन्ना हजारे

रालेगण सिद्धि| सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून से जुड़े नए नियमों का विरोध करते हुए 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन करने की घोषणा की है। उनका आरोप है कि हाल में किए गए बदलावों से आरटीआई कानून की मूल भावना कमजोर हुई है। हजारे ने केंद्र सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के सूचना के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है।

एसआईटी के समक्ष पेश हुए विजय सांपला

जालंधर| बहबल कलां गोलीकांड मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला मंगलवार को जालंधर में एसआईटी के सामने पेश हुए। विजय सांपला ने कहा कि उन्हें वर्ष 2018 में राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस समय वह पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। हालांकि अकाली दल-भाजपा गठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से मांग पत्र सौंपा गया था।

ईरान के तेल निर्यात पर 60 दिन की राहत

भारत के लिए खुला नया विकल्प; यूएन परमाणु निरीक्षकों की वापसी पर बनी सहमति

एजेंसी | वॉशिंगटन/तेहरान

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रगति सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के तेल उत्पादन, बिक्री और निर्यात से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी राहत देने का फैसला किया है। यह छूट 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसके तहत ईरानी कच्चे तेल के उत्पादन, बिक्री, परिवहन, बीमा तथा बैंकिंग लेनदेन की अनुमति दी गई है। यह फैसला स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई हालिया वार्ता के बाद सामने आया है।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम व्यापक शांति समझौते की दिशा में उठाया गया एक अस्थायी उपाय है। इसके बदले ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी (आईएइए) यानी संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को फिर से अपने देश में काम करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे अंतिम समझौते की दिशा में मजबूत शुरुआत बताया है।

हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि परमाणु मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन कई तकनीकी और राजनीतिक पहलुओं पर अभी अंतिम सहमति बनना बाकी है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने और अगले 60 दिनों के भीतर व्यापक समझौते की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बनी है। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अमेरिका की इस अस्थायी छूट के बाद भारत समेत कई देशों के लिए ईरानी तेल खरीदने की संभावना फिर से खुल गई है। भारत कभी ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल था, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उसे ईरान से तेल आयात बंद करना पड़ा था। अब नई व्यवस्था के तहत भारत को अपने तेल आयात स्रोतों में विविधता लाने का अवसर मिल सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत ईरान से दोबारा तेल खरीदता है तो उसे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा तेल मिल सकता है, जिससे आयात लागत कम करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि, भारत की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और नई दिल्ली स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है।

बातचीत का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बातचीत का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भी दिखाई देने लगा है। ईरानी तेल की आपूर्ति बढ़ने की संभावना के कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी दर्ज की गई है। साथ ही, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही भी सामान्य होने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 60 दिन अमेरिका-ईरान संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यदि दोनों देश स्थायी समझौते तक पहुंचते हैं, तो इससे न केवल पश्चिम एशिया में तनाव कम होगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को भी दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस अस्थायी समझौते के अगले चरण पर टिकी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारी की याचिका खारिज

सिर्फ सीनियर होने से जज बनने का हक नहीं मिलता, कॉलेजियम के फैसले में दखल नहीं

कहा- हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश का अधिकार न्यायिक आदेश से नियंत्रित नहीं किया जा सकता

विभिन्न पहलुओं का सामूहिक मूल्यांकन

भारत में उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। इस व्यवस्था में वरिष्ठता एक महत्वपूर्ण कारक अवश्य है, लेकिन यह अकेला आधार नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक कॉलेजियम संकल्प सूची भी दर्शाती है कि नियुक्तियों में विभिन्न पहलुओं का सामूहिक मूल्यांकन किया जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की स्वायत्तता को मजबूत करता है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के गणित से नहीं, बल्कि योग्यता और संस्थागत जरूरतों के संतुलन के आधार पर तय की जाती है। यह निर्णय भविष्य में न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े ऐसे विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल वरिष्ठता के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी को हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

शीर्ष अदालत ने यह भी दोहराया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम किन नामों पर विचार करेगा और किन्हें सिफारिश करेगा, यह पूरी तरह संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें अदालत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह टिप्पणी उस समय आई जब हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उनसे जूनियर अधिकारियों के नाम हाईकोर्ट जज पद के लिए आगे बढ़ाए गए, जबकि उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

उन्होंने अदालत से हाईकोर्ट कॉलेजियम को उनके नाम पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल वरिष्ठ होने से किसी व्यक्ति को हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किए जाने का वैधानिक या मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कई मानदंडों पर आधारित होती है, जिनमें योग्यता, कार्यक्षमता, ईमानदारी, प्रतिष्ठा, प्रशासनिक क्षमता और संस्थागत आवश्यकताओं का भी आकलन किया जाता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि वह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे तो इससे न्यायिक नियुक्ति व्यवस्था में अनावश्यक विवाद पैदा होंगे और यह पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह हाईकोर्ट कॉलेजियम को किसी विशेष नाम पर विचार करने या सिफारिश करने का आदेश नहीं दे सकती।

सिटीजन रिपोर्टर

अब आप भी बन सकते हैं समर एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। अपने इलाके की कोई भी समस्या, आयोजन, जानकारी या खबर हमें भेजें। आपके नाम के साथ प्रकाशित की जाएगी। अपनी खबर इस फोन नंबर 8699221114 या ईमेल infosummerexpress@gmail.com पर भेजें।

BOOK YOUR ADVERTISEMENT

If you want to publish your advertisement on our newspaper

समर एक्सप्रेस

CONTACT:
+91 6283 860 059

पेज 1 एंकर स्टोरी | सरकार महंगी बिजली खरीदने को मजबूर, 10 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रही

धान सीजन में पंजाब पर बिजली संकट की मार, पांच थर्मल यूनिट बंद

समर न्यूज | चंडीगढ़

धान की बुआई के सबसे महत्वपूर्ण दौर में पंजाब एक साथ बिजली और वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। राज्य में पांच प्रमुख थर्मल यूनिट बंद होने, नहर आधारित जलविद्युत परियोजनाओं के रखरखाव कार्य में देरी व बढ़ती मांग ने हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

स्थिति यह है कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए खुले बिजली बाजार से लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट की ऊंची दर पर बिजली खरीदनी पड़ रही है।

धान की रोपाई के मौसम में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी बीच अपर बारी दोआब नहर (यूबीडीसी) से जुड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के रखरखाव कार्य में अपेक्षा से अधिक समय लगने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर, राज्य के विभिन्न ताप विद्युत

संयंत्रों की पांच इकाइयां तकनीकी कारणों और रखरखाव कार्य के चलते बंद हैं। इससे राज्य की अपनी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय कमी आई है।

हाल के दिनों में स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब बठिंडा स्थित गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट की चारों इकाइयां चरणबद्ध तरीके से बंद हो गईं। रोपड़ थर्मल प्लांट की एक इकाई भी उत्पादन से बाहर है। बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल और तकनीकी समस्याओं ने संयंत्रों की मरम्मत प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। बिजली की कमी का सीधा असर राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर भी दिखाई दे रहा है।

क्षमता के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराना उत्पादन कंपनियों की जिम्मेदारी

इसी बीच बिजली उत्पादन कंपनियों की जवाबदेही को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला भी चर्चा में है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले में कहा कि यदि कोई बिजली उत्पादक कंपनी अपनी घोषित उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन करने में विफल रहती है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए अलग से दुर्भावना या गलत इरादे को साबित करना आवश्यक नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि घोषित क्षमता के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराना उत्पादन कंपनियों की जिम्मेदारी है और इसमें विफलता पर नियामकीय कार्रवाई स्वतः लागू हो सकती है। यह मामला पंजाब से जुड़ी बिजली उत्पादक कंपनी और बिजली निगम के बीच विवाद से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी है। अदालत ने यह भी माना कि घोषित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और बिजली ग्रिड की स्थिरता आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

सभी उपलब्ध स्रोतों से बिजली की व्यवस्था

राज्य सरकार और पीएसपीसीएल का कहना है कि सभी उपलब्ध स्रोतों से बिजली की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसानों को धान की खेती के दौरान आवश्यक आपूर्ति मिलती रहे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब को भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए उत्पादन स्रोतों में विविधता, रखरखाव कार्यों की समयबद्ध योजना और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर अधिक ध्यान देना होगा। फिलहाल, धान सीजन के बीच पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बढ़ती मांग, सीमित उत्पादन और बढ़ते खर्च के बीच बिजली आपूर्ति को बिना बड़े व्यवधान के कैसे बनाए रखता है।

आज पंजाब भर में किसान फूकेंगे मोदी-ट्रंप के पुतले

समर न्यूज | चंडीगढ़

किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) चैप्टर पंजाब ने अमेरिका-भारत समझौते के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े मोर्चे का ऐलान कर दिया है।

24 जून को पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालयों और बड़े नेताओं के घरों के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूंके जाएंगे। इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि यह अमेरिका-भारत समझौता देश के कृषि क्षेत्र और विभिन्न आर्थिक ढांचों को कॉर्पोरेट के हाथों गिरवी रखने जैसा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों और मजदूरों के हितों से खिलवाड़ बंद नहीं किया, तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा।